न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 84 / 2025

प्रार्थीगण	**बनाम**	विप्रार्थीगण

प्रार्थीगण

1. रुपाराम पुत्र पेमाराम वयस्क
2. भौमाराम पुत्र पेमाराम वयस्क

जातियान जाट निवासीयान कागों की वाणी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर हाल बालोतरा।

बनाम

विप्रार्थीगण

1. कलाराम पुत्र डूंगराराम वयस्क
2. हुकमाराम पुत्र डूंगराराम वयस्क
3. खेतुदेवी पत्नी रामाराम वयस्क
4. चेनीदेवी पत्नी नवाराम वयस्क
5. जोगाराम पुत्र नवाराम वयस्क
6. रावताराम पुत्र नवाराम वयस्क
7. पोकराराम पुत्र आदुराम वयस्क
8. फतुदेवी पत्नी आदूराम वयस्क
9. मूलाराम पुत्र पैलादराम वयस्क
10. आसीदेवी पत्नी भूराराम वयस्क
11. केसाराम पुत्र भूराराम वयस्क
12. मधाराम पुत्र भूराराम वयस्क
13. वालाराम पुत्र भूराराम वयस्क
14. कुंभाराम पुत्र पनाराम वयस्क
15. धनाराम पुत्र पनाराग वयस्क
16. हरजीराम पुत्र पनाराम वयस्क
17. चेनाराम पुत्र दूदाराम वयस्क
18. निम्बाराम पुत्र दूदाराम वयस्क
19. रामाराम पुत्र दूदाराम वयस्क
20. दलुदेवी पत्नी दूदाराम वयस्क
21. फूसाराम पुत्र गुमनाराम वयस्क
22. मोटाराम पुत्र उदाराम वयस्क
23. अणदाराम पुत्र गिरवारीराम वयस्क
24. ताजाराम पुत्र गिरधारीराम वयस्क
25. जोगाराम पुत्र देवाराम वयस्क
26. पेमाराम पुत्र देवाराम वयस्क
27. कानु पत्नी देवाराम [illegible]
28. ईशराराम पुत्र आ[illegible]राम [illegible]स्क
29. [illegible] पुत्र आईदान[illegible] वयस्क
30. [illegible] पुत्र आईदान [illegible]
31. [illegible] पुत्र लुम्बा[illegible]स्क
32. लछमणाराम पुत्र लुम्बाराम वयस्क
33. लाभूराम पुत्र लुम्बाराम वयस्क
34. हीरोदेवी पत्नी लूम्बाराम वयस्क
35. दलूदेवी पत्नी दुदाराम वयस्क

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:52:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

36. भोमाराम पुत्र पोकराराम वयस्क जातियान जाट निवासीयान कागों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर हाल बालोतरा
37. उमाराम पुत्र मनजीराम वयस्क
38. चूनाराम पुत्र मनजीराम वयस्क
39. नवलाराम पुत्र मनजीराम वयस्क
40. निम्बाराम पुत्र मनजीराम वयस्क
41. भोपाराम पुत्र मनजीराम वयस्क
42. लालाराम पुत्र मनजीराम वयस्क
43. खुमाराम पुत्र जुगताराम वयस्क
44. कबूदेवी पत्नी नरसिंगाराम वयस्क जातियान मेघवाल निवासीयान कागों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर हाल बालोतरा
45. कालीदेवी पत्नी वागाराम वयस्क
46. पारसराम पुत्र वागाराम वयस्क
47. रमेशकुमार पुत्र वागाराम वयस्क
48. जितेन्दकुमार पुत्र वागाराम वयस्क
49. गुमनाराम पुत्र केसराराम वयसक
50. तेजाराम पुत्र केसराराम वयस्क
51. भीखाराम पुत्र केसराराम वयस्क
52. दीपाराम पुत्र सोनाराम वयस्कजातियान घांची निवासीयान कागों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर हाल बालोतरा
53. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री सवाईराम सियाग, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. विप्रार्थी संख्या 53 की ओर से पैरोकार उप. शेष एकतरफा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:52:06 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक 30.07.2025

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थीगण का खेत तहसील सिणधरी पटवार हल्का–पायला कला के ग्राम कागों की ढाणी में खेत खसरा संख्या 334,615/335 रकबा क्रमश 0.0971,11.7089 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा तहसील सिणधरी पटवार हल्का–पायला कला के ग्राम कागों की ढाणी में खेत खसरा संख्या 334,615/335 रकबा क्रमश 0.0971,11.7089 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत तहसील सिणधरी पटवार हल्का–पायला कला के ग्राम कागों की ढाणी में खेत खसरा संख्या 334,615/335 रकबा क्रमश 0.0971,11.7089 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा तहसील सिणधरी पटवार हल्का–पायला कला के ग्राम कागों की ढाणी में खेत खसरा संख्या 334,615/335 रकबा क्रमश 0.0971,11.7089 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि तहसील सिणधरी पटवार हल्का–पायला कला के ग्राम कागों की ढाणी में खेत खसरा संख्या 334,615/335 रकबा क्रमश 0.0971,11.7089 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्डड सहखातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:52:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार हल्का–पायला कला के ग्राम कागों की ढाणी में खेत खसरा संख्या 334,615/335 रकबा क्रमश 0.0971,11.7089 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 30.07.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:52:06 IST
Reason: SelfAttested